प्रेस विज्ञप्ति

22.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स प्रिया होम स्टडी प्राइवेट लिमिटेड (पीएचएसपीएल) और उसके निदेशक/पूर्व निदेशक महेश कुमार, सत्य प्रकाश और सोमबीर पूनिया के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत धन शोधन के अपराधों के लिए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष 15.12.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है।

ईडी ने राजस्थान और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई 59 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मेसर्स पीएचएसपीएल और उसके प्रमुख पदाधिकारियों ने धोखाधड़ी वाली ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा और एमएलएम-प्रकार की योजनाओं का संचालन करके आम जनता को धोखा दिया। भ्रामक विज्ञापनों, सेमिनारों और "अर्न् व्हाइल यू लर्न" जैसे आश्वासनों के माध्यम से, निवेशकों को अवास्तविक रिटर्न के वादे पर 5,800/- रुपये से लेकर 11,800/- रुपये तक की सदस्यता फीस जमा करने के लिए प्रेरित किया गया। जांच से पता चला कि, हालांकि 2002 में एक शिक्षा कंपनी के रूप में स्थापित की गई मेसर्स पीएचएसपीएल का उपयोग वास्तव में एक बड़े पैमाने पर धन परिसंचरण योजना चलाने के लिए एक मुखौटे के रूप में किया गया था, जिसमें शैक्षिक सामग्री केवल झूठे प्रतिनिधित्व और वैधता के भ्रामक दावों के माध्यम से धन एकत्र करने के लिए एक मुखौटे के रूप में काम करती थी।

बैंक खातों की जांच, अभियुक्तों और शिकायतकर्ताओं के बयानों सहित विस्तृत वित्तीय जांच से पता चला कि अपराध की अवधि के दौरान कई राज्यों में लाखों निवेशकों से धन एकत्र किया गया था, जिसमें से 70 करोड़ रुपये की बड़ी रकम बेईमानी से रख ली गई और धन शोधन किया गया।

आगे की जांच से पता चला कि अपराध से प्राप्त आगम का उपयोग कंपनी और उसके प्रमुख प्रवर्तकों/निदेशकों के परिवार के सदस्यों के नाम पर कई अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया था। तदनुसार, ईडी ने एक अस्थायी कुर्की आदेश के माध्यम से 3.06 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया, जिसकी बाद में माननीय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई।

आगे की जांच जारी है।